

कार्यालय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर।

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के द्वारा निर्गत पत्र cpc-all@aij.gov.in दिनांक अप्रैल 15, 2020 समय प्रातः 10:55 बजे के अनुपालन में कोरोना/कोविड-19 लॉक डाउन की अवधि दिनांक 15.04.2020 से 03.05.2020 तक बढ़ायी गयी है।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के द्वारा जनहित याचिका संख्या 564/2020 में पारित आदेश का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाना है।

उक्त आदेश के अनुपालन में जेल में निरुद्ध बन्दियों से सम्बन्धित दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में निम्नलिखित रोस्टर प्रतिपादित किया जाता है।

उपरोक्त आदेश का अनुपालन निम्नलिखित जिला जज रोस्टर के अनुसार सम्पादित करेंगे।

क्र०सं०	न्यायिक अधिकारीगण	रोस्टर अवधि
1	श्री संजय हरि शुक्ला, विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/ जनजाति अधिनियम)	16.04.2020 से 20.04.2020 तक
2	श्री जीतेन्द्र मिश्र, अपर जिला जज/एफ0टी0सी0-प्रथम	21.04.2020 से 25.04.2020 तक
3	श्री यज्ञेश चन्द्र पाण्डेय अपर जिला जज/एफ0टी0सी0-द्वितीय	26.04.2020 से 30.04.2020 तक
4	श्री अच्छेलाल सरोज अपर जिला जज (पॉक्सो अधिनियम)	01.05.2020 से 03.05.2020 तक

Received
15/04/2020

Received
15/04/2020

उपरोक्त सभी न्यायिक अधिकारीगण को सूचना व्यक्तिगत रूप से एवं व्हाट्स एप प्रेषित की जाय।

दिनांक : 15.04.2020

प्रभारी जनपद न्यायाधीश,
मीरजापुर।

15/04/2020